Order sheet [Contd]

case No: ba- 248/2017 B.A

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

04/07/1 7 आवेदक सुनील उर्फ सोनू उपाध्याय द्वारा श्री सुरेश गुर्जर एड० उप०।

अनावेदक / राज्य की ओर से श्री बघेल ए०जी०पी उप०।

इस न्यायालय का विशेष डकैती प्रकरण क0-04/2017 पुलिस गोहद चौराहा वि० संतोष शर्मा आदि निकाला गया ।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन धारा-451 दप्रसं पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक के स्वामित्व व आधिपत्य की मोटरसाईकिल हीरो एच एफ डीलक्स रिज0क0—एम0पी.—30 एम.एल.—6701 को थाना गोहद चौराहा द्वारा जप्त कर लिया गया है । उक्त वाहन के अधिक समय तक थाने पर रखे रहने से उसके टायर ट्यूब व मशीनरी में खराबी आने की संभावना है। प्रकरण के निराकरण में समय लगेगा । वह सभी शतों का पालन करेगा अतः उक्त वाहन उसे सुपुर्दगी पर प्रदान किया जावे। जबिक ए०जी०पी० ने व्यक्त किया है कि वाहन का उपयोग घटना में हुआ है अतः उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर देने में आपत्ति व्यक्त की है।

आवेदन पर सुना गया। मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक के स्वामित्व का उक्त वाहन मोटरसाइकिल हीरो एच एफ डीलक्स रिज0क0-एम0पी.—30 एम.एल.—6701 को थाना गोहद चौराहा द्वारा अपराध क्रमांक—28/2017 में सहअभियुक्त अविनाश राजावत से जप्त किया गया है। आवेदक सुनील उपाध्याय उक्त वाहन का रिजस्टर्ड स्वामी है जिस बाबत उसने रिजस्ट्रेशन व बीमा के कागजात भी पेश किये हैं जिसका बीमा 02/10/2017 तक जीवित है। असल रिजस्ट्रेशन एवं बीमा की प्रति अवलोकन के पश्चात वापिस की गयी।

सहअभियुक्त अविनाश या अन्य किसी के द्वारा उक्त मोटरसाइकिल का कोई क्लेम नहीं किया गया है। प्रस्तुत किए गये रिजस्ट्रेशन एवं बीमे की प्रित में तथा जब्ती पंचनामा में इंजन नंबर व चेसिस नंबर का मिलान करने पर उक्त रिजस्ट्रेशन इसी जब्तशुदा मोटरसाइकिल का होना प्रकट होता है। उक्त मोटर साइकिल की साक्ष्य में कोई आवश्यकता होना प्रकट नहीं होती है। क्योंकि अपराध अग्नेयशस्त्र पिस्टल, रिवाल्वर एवं कटटे आदि के संबंध में मोटरसाइकिल पर अभियुक्तगण बैठकर आये हैं। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है तब तक उक्त वाहन के थाने पर रखे रहने से उसमें तकनीकी खराबी आने एवं क्षय होने से मोटरसाइकिल की कीमत में लगातार कमी होने की भी तथा उपयोगिता में हास होने की भी संभावना है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए तथा आवेदक का उक्त मोटरसाइकिल हीरो एच.एफ. डीलक्स का पंजीकृत स्वामी होने से आवेदक

को उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। किन्तु आवेदक से उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर लेने बाबत सुपुर्दगीनामा के साथ साथ जमानत लेना भी उचित होगा।

फलतः आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक की ओर से 50 हजार रूपये का सुपुर्दुगीनामा एवं उतनी ही राशि की सक्षम जमानत इस आशय की प्रस्तुत की जावे कि वह उक्त वाहन को सुपुर्दुगी पर लेने के उपरान्त उसके रंग रूप, मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं करेगा, किसी अन्य को रहन, विकय या बंधक नहीं करेगा, वाहन का किसी अपराध में प्रयोग नहीं करेगा, वाहन के चारों ओर से रंगीन फोटो लेकर पांच दिवस में न्यायालय में पेश करेगा एवं जब कभी न्यायालय द्वारा साक्ष्य के समय या अन्यथा आहूत किया जावेगा तो उक्त मोटरसाइकिल को स्वयं के व्यय पर न्यायालय में उपस्थित रखेगा तब आवेदक को उक्त वाहन मोटरसाइकिल सुपुर्दगी पर प्रदान किया जावे।

आदेश की प्रति मूल प्रकरण में संलग्न हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(मोहम्मद अज़हर)
विशेष न्यायाधीश डकेंती, गोहद